~~उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन~~
अधिकारी दमन पर हैं/~~अवकाश पर हैं/अन्य~~
~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10-2-16
को पेश हो।
रीडर

10-2-16 : वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि 6-4-16 को पेश हो।

6-4-16 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 11-5-16 को पेश हो।

13-7-
5-5-16

4-5-16 वादी व उनके वकील उपस्थित। विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने के लिए सहमत है। अतः प्रकरण को ~~लोक अदालत~~ कैम्प कोर्ट में रैफर किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 10-5-16 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

10-5-16 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट नारायणपुर पर पेश हुई। वादी मुरारीलाल व प्रतिवादी घनश्याम उपस्थित है। प्रतिवादी घनश्याम ने बताया है कि वादग्रस्त भूमि ख० नं० $\frac{1068}{217}$ ग्राम टटवाड़ा वादी मुरारीलाल ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा मुझ प्रतिवादी को विक्रय कर दी है एवं मेरे नाम नामान्तरकरण भी खुल चुका है। इस भूमि से अब वादी मुरारीलाल का कोई वास्ता नहीं रहा है। भूमि पर कब्जा मेरा है इसलिए यह दावा खारिज किया जावे। वादी मुरारीलाल से इस बारे में जानकारी की गई तो उसने भूमि ख० नं० $\frac{1068}{217}$ ग्राम टटवाड़ा प्रतिवादी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
घनश्याम को बेचना स्वीकार किया। इस सम्बन्ध में कैम्प कोर्ट लोक अदालत में उपस्थित पटवारी हलका से जानकारी चाही गई तो पटवारी हलका ने नामा० सं० 495 दि० 10-5-16 की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण सं० 495 दि० 10-5-16 ग्राम टरवाडा द्वारा भूमि ख०नं० 1068/817 रकबा 14 एयर वादी मुरारीलाल के बजाय प्रतिवादी घनश्याम की खातेदारी में दर्ज हो चुकी है।	
वादी मुरारीलाल से अपना दावा वापिस लेने के लिए समझाइश की गई। परन्तु वादी ने अपना दावा वापिस लेने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया।	
चूंकि वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी को बेची जा चुकी है एवं भूमि प्रतिवादी घनश्याम के नाम दर्ज हो चुकी है। इस तथ्य को दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादी के नाम नहीं होने के कारण वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। फलस्वरूप वादी का यह वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
(हस्ताक्षर) (मुनिदेव यादव) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी कैम्प कोर्ट नारायणपुर	

न्यायालय उपखंड अधिकारी [illegible]
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) नारायनपुर

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
104/2010	29.09.2010	10.05.2016

मुरारीलाल पुत्र हजारीलाल जाति महाजन अग्रवाल निवासी टटवाडा हाल निवासी गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधापुर ——वादी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र हजारीलाल, महाजन निवासी टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी
2. शम्भू उर्फ शिवजीलाल पुत्र हजारीलालाल,महाजन नि0टटवाडा तहसील गंगापुर
3. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि घनश्याम,महाजन नि0टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी
4. श्रीमती संतोषदेवी पत्नि शिवजीलाल,महाजन नि0टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी
5. उमेश कुमार पुत्र घनश्यामलाल,महाजन निवासी टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी
6. हरिप्रसाद पुत्र स्व0ग्यारसीलाल, ब्राह्मण निवासी टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी
7. गुलाबदास पुत्र नानग्या, बैरवा निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
8. बजरंगा पुत्र गेन्दया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
9. बच्चूसिंह पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
10. लाला पुत्र कल्याण, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:— श्री मुरारीलाल, वादी
श्री घनश्याम, प्रतिवादी

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 1068/217 रकबा 14 एयर ग्राम टटवाडा में स्थित है जिसको वादी लगातार काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि को वादी कभी मजदूरी पर और कभी बट पर काश्त करवा कर भूमि का लाभ लेता आ रहा है। इस साल वादी ने हरिमोहन गुर्जर से मजदूरी पर ट्रेक्टर से जुताई बुबाई करवा कर तिल्ली, बाजरा की फसल काश्त कराई है जो सरसब्ज खडी है। प्रतिवादीगण सरगना एवं गिरोहबन्द व्यक्ति हैं। वे वादी की कब्जे काश्त की भूमि को लठ्ठ के जोर पर छीनना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 24.9.2010 को धमकी दी कि इस फसल को हम काटेंगे तथा आयन्दा भी इस भूमि को तुम्हें काश्त नहीं करने देंगे। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी को आराजी खसरा नम्बर 1068/217 रकबा 14 एयर ग्राम टअवाडा के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं डालें ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि दावे में वर्णित भूमि के विरूद्ध प्रथम नियमित अपील राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां उनवानी घनश्याम बनाम मुरारीलाल विचाराधीन है। वादी ने एकतरफा में घोषणां व विभाजन का दावा दिनांक 24.4.2007 को डिक्री करा लिया था जिसके विरूद्ध अपील विचाराधीन है। अपील के साथ जबाबदारान ने स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसमें 30.11.09 को आदेश पारित किया कि न्यायालय उप जिला

उनवानी मुरारीलाल बनाम घनश्याम वगैरा में पारित निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित रखते हुए राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। परन्तु वादी ने स्टे का उल्लंघन करते हुए नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया एवं कुछ भूमि राजेश को 16.4.2010 को बेच दी एवं स्टे आदेश के बाद भी इस विक्रयके विरूद्ध ब्रीच प्रार्थना पत्र उनवानी घनश्याम बनाम मुरारी वगैरा राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां विचाराधीन है। इस भूमि का दावा ए0सी0जे0एम0 कोर्ट गंगापुर सिटी में घनश्याम बनाम मुरारी वगैरा भी विचाराधीन है ऐसी स्थिति में वादी वैधानिक रूप से विवादित भूमि का खातेदार नहीं है और मामला सब ज्यूडिश होने से दावा चलने योग्य नहीं है तथा प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से प्रतिवादी 1 ता 5 का कब्जा है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2064 से 2067, नकल नक्शा ट्रेस, छायाप्रति नकल बंटवारा स्कीम, छायाप्रति एफ0आई0आर0 दिनांक 2.11.09, नकल निर्णय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर दिनांक 23.1.2013 पेश किए हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जबाब दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे राजस्व अभियान ''न्याय आपके द्वार'' के तहत दिनांक 10.5.2016 को ग्राम पंचायत मुख्यालय नारायणपुर पर राजस्व शिविर एवं कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया एवं यह मुकदमा सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट नारायणपुर पर रखा गया जिसके लिए दोनों पक्षों को सूचना जारी की गई ।

कैम्प कोर्ट नारायणपुर पर वादी मुरारीलाल एवं प्रतिवादी घनश्याम उपस्थित हुए। पक्षकारों से वस्तुस्थिति की जानकारी चाही गई। प्रतिवादी घनश्याम ने बताया कि विवादित भूमि ख0नं0 1068/217 रकबा 14 एयर ग्राम टटवाडा वादी ने प्रतिवादी घनश्याम को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेच दी है एवं इसका नामान्तरकरण भी प्रतिवादी के नाम खुल चुका है। इस तथ्य की जानकारी के लिए कैम्प में मौजूद नायब तहसीलदार तलावडा से पूछा गया तो उन्होने नामान्तरकरण संख्या 495 द्वारा वादग्रस्त भूमि वादी मुरारी के नाम से प्रतिवादी घनश्याम के नाम दर्ज होना बताया एवं नामान्तरकरण संख्या 495 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की। इस तथ्य के बारे में वादी को बताया गया परन्तु वादी इसे स्वीकार करने से मना करता रहा।

चूंकि वादग्रस्त भूमि स्वयं वादी द्वारा प्रतिवादी घनश्याम को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से बेचान की जा चुकी है एवं इसका राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण संख्या 495 प्रतिवादी घनश्याम के नाम दर्ज भी हो चुका है ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1068/217 रकबा 14 एयर ग्राम टटवाडा वर्तमान में वादी की खातेदारी में दर्ज ही नहीं है जिसके कारण वादी इस भूमि के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है फलस्वरूप वादी का यह वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

चूंकि वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी घनश्याम को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान कर देने के फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 495 ग्राम टटवाडा द्वारा भूमि वादी के स्थान पर प्रतिवादी घनश्याम के नाम दर्ज हो चुकी है ऐसी

स्थिति में वादी भूमि ख0नं0 1068/217 रकबा 14 एयर ग्राम टटवाडा के बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे ।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
कैम्प कोर्ट नारायणपुर

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) नारायणपुर

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

मुरारीलाल पुत्र हजारीलाल जाति महाजन अग्रवाल निवासी टटवाडा हाल निवासी गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधापुर ––वादी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र हजारीलाल, महाजन निवासी टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी
2. शम्भू उर्फ शिवजीलाल पुत्र हजारीलालाल,महाजन नि0टटवाडा तहसील गंगापुर
3. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि घनश्याम,महाजन नि0टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी
4. श्रीमती संतोषदेवी पत्नि शिवजीलाल,महाजन नि0टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी
5. उमेश कुमार पुत्र घनश्यामलाल,महाजन निवासी टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी
6. हरिप्रसाद पुत्र स्व0ग्यारसीलाल, ब्राह्मण निवासी टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी
7. गुलाबदास पुत्र नानग्या, बैरवा निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
8. बजरंगा पुत्र गेन्दया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
9. बन्नूसिंह पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
10. लाला पुत्र कल्याण, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 104/2010

वादी की ओर से वादी मुरारीलाल व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी घनश्याम की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 10.05.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

चूंकि वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी घनश्याम को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान कर देने के फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 495 ग्राम टटवाडा द्वारा भूमि वादी के स्थान पर प्रतिवादी घनश्याम के नाम दर्ज हो चुकी है ऐसी स्थिति में वादी भूमि ख0नं0 1068/217 रकबा 14 एयर ग्राम टटवाडा के बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 10.5.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुनिदेव यादव)
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
कैम्प कोर्ट नारायणपुर

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 ________रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	